



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1942 (श0)
(सं0 पटना 482) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2020

सं० एल0जी0-01-14/2020/4379/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 7 अगस्त 2020 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
पी0 सी0 चौधरी,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 06, 2020]**बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) अधिनियम, 2020**

कुछ अधिनियमों में समय-सीमा की अवधि से संबंधित प्रावधानों का शिथिलीकरण करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 20 मार्च, 2020 के प्रभाव से लागू माना जायेगा।

2. परिभाषा — (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “विनिर्दिष्ट अधिनियम” से अभिप्रेत है— बिहार वित्त अधिनियम 1981, (बिहार अधिनियम, 5/1981) [जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा 94 द्वारा निरसित किये जाने के पूर्व था।] बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम, 27/2005), बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993, (बिहार अधिनियम, 16/1993), बिहार होटल विलास वस्तु कर अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम, 5/1988), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम, XXXV/1948), बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007, [जो बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम, 12/2017) की धारा 173 द्वारा निरसित किए जाने के पूर्व थे।], बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम, 36/1948) [जो बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम, 4/2018) की धारा 23 द्वारा निरसित किए जाने के पूर्व था] और बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 (बिहार अधिनियम, 4/2018)

(2) यहाँ प्रयुक्त किए गए वैसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं, लेकिन वे विनिर्दिष्ट अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके अर्थ उस अधिनियम में क्रमशः निर्दिष्ट अर्थ के अनुकूल होंगे।

3. विनिर्दिष्ट अधिनियम के कुछ प्रावधानों का शिथिलीकरण— जहाँ कहीं भी विनिर्दिष्ट अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी कार्रवाईयों को पूरा करने या अनुपालन करने के लिये किसी समय सीमा को निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया हो, जो 20 मार्च, 2020 से 29 जून, 2020 के दौरान पड़ता हो —

(क) विनिर्दिष्ट अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी प्राधिकारी या न्यायाधिकरण, चाहे जिस नाम से जाना जाए, के द्वारा किसी कार्यवाही को पूरा करने या किसी आदेश को पारित करने या किसी नोटिस, सूचना, अधिसूचना, स्वीकृति या अनुमोदन का निर्गमन या इस तरह की कोई कार्रवाई चाहे जिस नाम से जाना जाए; या

(ख) विनिर्दिष्ट अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोई अपील, जबाब या आवेदन फाईल करना या कोई रिपोर्ट, दस्तावेज, स्टेटेमेंट या अन्य ऐसे अभिलेख, चाहे जिस नाम से जाना जाए, को प्रस्तुत करना,

और जहाँ ऐसी कार्रवाई को पूर्ण या अनुपालित ऐसी समय सीमा के भीतर नहीं किया गया है, तब ऐसी कार्रवाई को पूर्ण या अनुपालित करने लिये समय-सीमा, विनिर्दिष्ट अधिनियम में कुछ भी विहित होने के बावजूद, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 या 31 दिसम्बर, 2020 के बाद ऐसी अन्य तिथि किन्तु 31 दिसम्बर, 2021 से अधिक नहीं, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से इस संदर्भ में निर्दिष्ट किया जाय, तक विस्तारित होगी;

परन्तु राज्य सरकार विभिन्न कार्रवाईयों को पूरा करने या अनुपालन करने के लिये अलग- अलग तारीखों को निर्दिष्ट कर सकती है;

परन्तु यह और कि ऐसी कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे—

(i) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 या बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के तहत रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन की फाईलिंग और निपटान या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का संशोधन या रद्दीकरण के लिए आवेदन की फाईलिंग और निपटान; या

(ii) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 या बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के तहत किसी टैक्स इनवॉयस, इनवॉयस, रिटेल इनवॉयस, बिल, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, चाहे जिस नाम से जाना जाए का निर्गमन; या

(iii) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 या बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के तहत दाखिल या प्रस्तुत किये जाने के लिए आवश्यक किसी रिटर्न को दाखिल या प्रस्तुत करना; या

(iv) किसी कर, ब्याज, जुर्माना, फाईन या किसी अन्य राशि का भुगतान जो बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 या बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के तहत देय हो।

4. निरसन एवं व्यावृत्ति।— (i) बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या-10, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी0 सी0 चौधरी,
सरकार के सचिव।

10 अगस्त 2020

सं० एल0जी0-01-14/2020/4380/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2020 को अनुमत बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण)

अधिनियम, 2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव ।

[Bihar Act 06, 2020]

THE BIHAR TAXATION LAWS (RELAXATION OF PERIOD OF LIMITATION PROVISIONS) ACT, 2020

AN ACT

to provide relaxation in the provisions relating to period of limitation in certain Acts.

BE It enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy first year of the Republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement.-(1) This Act may be called the Bihar Taxation Laws (Relaxation of period of limitation Provisions) Act, 2020.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall be deemed to have come into force on the 20th day of March, 2020.

2. Definition.-(1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "specified Act" means- *the Bihar Finance Act, 1981 (Bihar Act 5 of 1981) [as it stood before its repeal by section 94 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)], the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the Bihar Tax on Entry of goods into Local Areas for Consumption, use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act No.16 of 1993), the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988), the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act XXXV of 1948), the Bihar Tax on Advertisement Act, 2007, [as they stood before their repeal by section 173 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act No. 12 of 2017)], the Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Bihar Act 36 of 1948) [as it stood before its repeal by section 23 of the Bihar Electricity Duty Act, 2018 (Act 4 of 2018)] and the Bihar Electricity Duty Act, 2018 (Act 4 of 2018)]*

(2) The words and expressions used herein and not defined, but defined in the specified Act, shall have the meaning respectively assigned to them in that Act.

„3. Relaxation of certain provisions of specified Act.- Where, any time limit has been specified in, or prescribed or notified under the specified Act which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of June, 2020 for the completion or compliance of such action as-

(a) completion of any proceeding or passing of any order or issuance of any notice, intimation, notification, sanction or approval or such other action, by whatever name called, by any authority or tribunal, by whatever name called, under the provisions of the specified Act; or

(b) filing of any appeal, reply or application or furnishing of any report, document, statement or such other record, by whatever name called, under the provisions of the specified Act,

and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action shall, notwithstanding anything contained in the specified Act, stand extended to the 31st day of December, 2020, or such other date after the 31st day of December, 2020, but not later than the 31st day of December, 2021, as the State Government may, by notification, specify in this behalf:

Provided that the State Government may specify different dates for completion or compliance of different actions:

Provided further that such action shall not include :-

(i) the filing and disposal of an application for registration or the filing and disposal of an application for amendment or cancellation of a certificate of registration, under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 or the Bihar Electricity Duty Act, 2018; or

(ii) the issuance of any tax invoice, invoice, retail invoice, bill, debit note, or credit note, by whatever name called, under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 or the Bihar Electricity Duty Act, 2018; or

(iii) the filing or furnishing of any return required to be filed or furnished under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 or the Bihar Electricity Duty Act, 2018; or

(iv) the payment of any tax, interest, penalty, fine or any other amount that is payable under the provision of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 or the Bihar Electricity Duty Act, 2018.

4. Repeal and Savings- (i) Bihar Taxation Laws (Relaxation of period of limitation Provisions) Ordinance, 2020 (Bihar Ordinance No.-10, 2020) is hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

By order of the Governor of Bihar,
P. C. CHOUDHARY,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 482-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>